रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250105
CG-DL-E-17112023-250105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 293] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

ग्रिड से जुड़ी पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2023-एनआरई.—ग्रिड से जुड़ी पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश 21 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1, खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/03/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 15.4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है,

खंड 15.4: विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत:

बहुविध परियोजना घटकों के मामले में और यदि ऐसे एक या अधिक घटक (पवन या सौर) ग्रिड में विद्युत डालने के लिए तैयार है, लेकिन शेष घटक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में असमर्थ है, तो उत्पादक को ऐसे घटक से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति होगी जो पीपीए के दायरे से बाहर तैयार है। विकासकर्ता पूर्ण या आंशिक क्षमता के अग्रिम रूप से चालू होने के संबंध में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों को पंद्रह (15) दिन का अग्रिम नोटिस देगा।

अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार नोटिस के तामील होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी विद्युत का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देंगे। यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा स्वीकार न की गई सीमा तक विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बेच सकता है।

परंतु यह कि यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीददार(खरीददारों) को ऐसी विद्युत प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में अंतिम खरीददार(खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा देय टैरिफ पीपीए टैरिफ के 75 प्रतिशत तक होगा या इस संबंध में निविदा दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the17th November, 2023

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projects.

No. 48-19/2/2023-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projectshave been notified vide Resolution No. 27/03/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 21st August 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 21st August, 2023:-

Clause 15.4 of the existing guidelines is substituted with the following,

Clause 15.4: Early Commencement of Supply of Power:

In case of multiple project components and if one or more such component (wind or solar) is ready for injection of power into the grid, but the remaining component is unable to commence supply of power, the Generator will be allowed to commence supply of power from such component which is ready outside the ambit of PPA.The developer shall give fifteen (15) days advance notice to both End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such power within 15 days from the date of service of notice. In case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance to purchase power within the stipulated period, the developer can sell the power to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements.

Provided that in case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance to purchase power, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing such power.

Provided further that in such cases tariff payable by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall be up to 75% of the PPA tariff or specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.17 20:45:34 +05'30'